

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या: 283 / 2021

इस कार्यालय के पत्र संख्या: का/283/गुप-डी/अंमं पार.स्थानां/परि/सोन/2018 दिनांक: 19.10.2020 एवं मरेप्र (कार्मिक)/पूमरे/समस्तीपुर मंडल के पत्र संख्या: का/283/परि0/ज0वि0प्र0/पार0स्था0/सम0/2019/पार्ट-2 दिनांक: 13.02.2020 के द्वारा श्री धीरज कुमार, ट्रा0 पोर्टर/लखमीनियों, अधीन स्टेधी/लखमीनियों, सोनपुर मंडल एवं श्री राजा कुमार, पीमैन/सिकटा, पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर मंडल के साथ वेतनमान (5200-20200) + जीपी-1800 (लेवल-01) में अंतर मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों मंडलों की सहमति प्राप्त है।

अतः श्री धीरज कुमार, ट्रा0 पोर्टर/लखमीनियों को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ किसी कार्य दिवस में विरमित कर भेजें, जिससे कि कर्मचारी श्री धीरज कुमार को पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर मंडल के लिए विरमित किया जा सके। पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अधीन अनुमेय होगा।

1. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर, एसपीई एवं विजिलेंस मामलों से मुक्त होना चाहिये।
2. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
3. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
4. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(बिजय इंजीनियर)

सकाधि-111

कृते मरेप्र(का0)/सोनपुर

दिनांक: .06.2021

ख्या: का/283/गुप-डी/अंमंपार स्थानां/परि/सोन/2018
तेलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मरेप्र (का0)/पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर मंडल।
2. वमपचाप्र/सोनपुर एवं वमविप्र/सोनपुर।
3. स्टेधी/लखमीनियों।
4. संबंधित कर्मचारी।
5. अभिलेख प्रति।
6. कार्यालय प्रति।
7. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो0 एवं ओबीसी एशो0 सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र(का0)/सोनपुर